**झारखण्ड सरकार**
**श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग**
**औद्योगिक प्रशिक्षित संस्थान डुमरी/बगोदर/महिला (गिरिडीह)**

**नामांकन की सूचना**

झारखण्ड राज्य के नवनिर्मित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,डुमरी (गिरिडीह)/ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बगोदर (गिरिडीह)/ महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गिरिडीह में SCVT के अंतर्गत सितम्बर 2017 से प्रारम्भ होने वाले सत्र में निम्नांकित व्यवसायों (ट्रेड) में प्रवेश हेतु इच्छुक महिला एवं पुरूष उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में दिनांक 01.07.2017 **(1जुलाई 2017)** तक आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

**(1) शैक्षणिक योग्यता**

(1) महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केवल महिला उम्मीदवारों के लिए हैं।
(2) प्रवेश पाने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता **DGT** द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के समरूप होगा जो निम्न व्यवसाय के लिए निम्नवत हैः–

| | | | |
|---|---|---|---|
| (क)– | Welder (वेल्डर), Sewing Technology (स्वींइग टेक्नोलॉजी) | – | Passed 8th class Examination |
| (ख)– | Fitter (फिटर), Electrician (विधुत),<br>Diesel Mechanic (डीजल मेकानिक) | – | Passed 10th Class examination under 10+2 system of education with science and mathematics or its equivalent. |
| (ग)– | Surveyor (सर्वेयर), Electronics Mechanic (इलेक्ट्रॉनिक्स मैकानिक) | – | Passed 10th Class examination under 10+2 system. |
| (घ)– | Fashion Design Technology (फैशन डिजाईन टेक्नोलॉजी),<br>Front office Assistant (फ्रंट ऑफिस असिसटेन्ट) | – | Passed 10th Class examination |

(3) नामांकन प्रवेशिका या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर नामांकन समिति के समक्ष उपस्थित होने के समय उपलब्ध सीट के आलोक में ओपेन बोर्ड प्रणाली द्वारा मैट्रिक के प्रांप्तांक/मेरिट के आधार पर नामांकन नियमनुसार किया जायेगा।

**(2) आयु अहर्त्ता**

(क)– 01 जुलाई 2017 को आयु न्युनतम 14 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
(ख)– सैन्य कार्यवाई में मारे गये सैन्य कर्मियों के विधवाओं के मामले में अधिकतम आयु 45 वर्ष।
आयु के निर्धारण के लिए केवल माध्यमिक/10 वीं समकक्ष परीक्षा के मूल/ औपबंधिक प्रमाण–पत्र में अंकित जन्म तिथि ही वैद्य होगी। आठवाँ (8वाँ) स्तर के व्यवसायों के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र में अंकित जन्म तिथि वैद्य होगी।

**(3)** प्रशिक्षण के लिए शारीरिक योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवारों को लिखित आश्वासन देना होगा कि वे प्रशिक्षण की अवधि में अनुशासन का पालन करेंगे। प्रशिक्षण समाप्त होने के पूर्व प्रशिक्षण कभी भंग नहीं करेंगे।

**(4) शुल्क**

आवेदन पत्र के साथ आवेदन पंजीयन शुल्क के रूप में **100/–** (एक सौ रूपये) मात्र का **पोस्टल आर्डर** देना होगा जो संबंधित **प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,डुमरी (गिरिडीह)/ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बगोदर (गिरिडीह)/ महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गिरिडीह** के पदनाम से भुगतेय होगा जिस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए आवेदक आवेदन दे रहे हों उसी के संस्थान प्राचार्य के नाम से पोस्टल ऑर्डर देना है। अन्य किसी भी नाम से पोस्टल ऑर्डर संलग्न करने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जाएँगे। किसी भी शर्त पर यह राशि नगद राशि के रूप में स्वीकार नहीं की जायेगी और न ही लौटायी जायेगी। पोस्टल आर्डर एक माह के अन्दर का होना चाहिए।
आवेदक अपना आवेदन पत्र निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से **प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,गिरिडीह (गिरिडीह), पचम्बा गिरिडीह** के पते पर भेजेंगे। आवेदन पत्र में आवेदक अपनी योग्यता/अंक पत्र/ जाति /उम्र/आवासीय से संबंधित सभी प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्वप्रमाणित कर एवं पोस्टल आर्डर के साथ संलग्न कर भेजेंगे।

**(5) कौशन मनी**

प्रवेश करने के समय प्रशिक्षर्थियों को 50/– (पचास रूपये) मात्र कौशन मनी (अधधान राशि) के रूप में जमा करना होगा। अगर छात्रों द्वारा संस्थान का कोई सामान खो जाने या सामान को जानबूझ कर तोड़ दिये जाने पर उसकी कीमत कौशन मनी से काट ली जायेगी तथा अन्य उचित कार्यवाई जाएगी। उत्तीर्ण करने के बाद छात्र एक वर्ष के अन्दर कौशन मनी वापस नहीं लेते हैं तो इसे जब्त कर लिया जायेगा और सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाएगा। सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

**(6) छात्रवृत्ति**

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को कल्याण विभाग से नियमानुसार छात्रवृत्ति मिल सकती है।

**(7) आरक्षण अहर्त्ता**

(क) आरक्षण का प्रावधान कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक–7/नीति (आरक्षण)–06/2001का0–5886 राँची, दिनांक 21.09.2011 के अनुरूप रहेगा।

(ख) मेरिट से चुने गये आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षित सीटों के विरूद्ध समयोजन नहीं किया जायेगा बल्कि खुली गुणा–गुण कोटि के 50 प्रतिशत रिक्तियों के विरूद्ध माना जायेगा।

(ग) प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में स्वीकृत सीटों के 30 प्रतिशत नामांकन सुपरन्यूमरी के रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।

(घ) सुपरन्युमरी सीट की एक–एक सीट दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिकों (किसी भी वर्ग) के आश्रितों के लिए आरक्षित है।

(8) व्यवसायों की विवरणी –

| क्र0 सं0 | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम | अवधि | व्यवसाय का नाम / आरक्षण प्रतिशत में | स्वीकृत सीट | GEN 50% | ST 12% | SC 13% | BC-1 14% | BC-2 11% | PH | SMQ | Super nunrc ST/SC | Total seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | नव निर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, में नामाकन हेतु प्रशिक्षणार्थियों का कोटिवार सीटों की विवरणी:– | | | | स्वीकृत सीट का विभाजन | | | | | सुपरन्यूमरी सीट | | | |
| 1 | औ0प्र0संस्थान, डुमरी | दो वर्षीय कोर्स | फीटर (दो यूनिट) | 32 | 16 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 42 |
| | | | इलेक्ट्रीशियन (दो यूनिट) | 32 | 16 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 42 |
| | | एक वर्षीय कोर्स | डीजल, मेकानिक (दो यूनिट) | 32 | 16 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 42 |
| | | | वेल्डर (दो यूनिट) | 24 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 32 |
| 2 | औ0प्र0संस्थान, बगोदर | दो वर्षीय कोर्स | फीटर (दो यूनिट) | 32 | 16 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 42 |
| | | | इलेक्ट्रीशियन (दो यूनिट) | 32 | 16 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 42 |
| | | एक वर्षीय कोर्स | सर्वेयर (दो यूनिट) | 32 | 16 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 42 |
| | | | वेल्डर (दो यूनिट) | 24 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 32 |
| 3 | महिला, औ0प्र0संस्थान, गिरिडीह | दो वर्षीय कोर्स | इलेक्ट्रोनिक्स मेकानिक (एक यूनिट) | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 |
| | | एक वर्षीय कोर्स | स्वींइग टेक्नोलॉजी (एक यूनिट) | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 |
| | | | फ्रंट ऑफिस असिसटेन्ट (एक यूनिट) | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 |
| | | | फैशन डिजाईन टेक्नोलॉजी (एक यूनिट) | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 |

(7) आवसीय अहर्ता:– सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वे ही उम्मीदवार नामांकन ले सकते हैं जो झारखण्ड राज्य के निवासी हैं या स्थानीय निवासी हैं या स्थानीय निवासी के श्रेणी में आते हैं। झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–14/स्थानीयता नीति–14–03/2016 का 4650 दिनांक– 02.06.2016 (संकल्प संख्या– 3198 दिनांक–18.04.2016) में स्थानीय निवासी परिभाषित किया गया है। उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी (अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त) द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(8) जाति आधारित अहर्ता:– नामांकन में झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा। आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले उम्मीदवारों को विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी (अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त) द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(9) दिव्यांग को अपना आवेदन पत्र देते समय एक फुल साईज का फोटो देना होगा तथा जिला अस्पताल के आर्थो–पेडिक्स के विभागाध्यक्ष/जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक (civil surgeon) द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। दूसरे किसी चिकित्सकों के प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं दी जायेगी।

(9) नामांकन में जिला की बाध्यता नहीं है। किसी भी जिला के उम्मीदवार किसी भी आई0 टी0 आई0 में नामांकन ले सकते हैं।

साधारण डाक एवं सीधे प्राप्त आवेदन पत्र एवं अंतिम तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अन्य आवश्यक शर्त/महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं विहित प्रपत्र www.giridih.nic.in या www.Jharkhand.gov.in पर देखा जा सकता है संलग्न फॉर्म दिये गये वेबसाइस से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा आवेदक हस्थलिखित/टंकन करा कर भी आवेदन कर सकते हैं।

5/06/17

(प्रत्यूष शेखर)
जिला नियोजन पदाधिकारी,
जिला नियोजनालय,गिरिडीह।

# अनुसूची "क"

## नवनिर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश करने हेतु आवेदनपत्र

आवेदक अपना पुर्ण हस्ताक्षर युक्त पासपोर्ट साईज फोटो चिपकाये।

1. ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नामः–..................................................
2. उम्मीदवार का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में):–..................................................
   (हिन्दी में):–..................................................
3. (क) पिता का नाम :–..................................................
   (ख) अभिभावक का नाम :–..................................................
4. पिता/अभिभावक का पेशा:–..................................................
5. उम्मीदवार का पूरा पता :–..................................................
   (क) स्थायी पता :–..................................................
   (ख) थाना :–..................................................गृहजिला..................................................पिन न0..................................................
   (ग) पत्राचार का पता :–..................................................
   ..................................................
6. उम्मीदवार का निकटतम रेलवे स्टेशन :–..................................................
7. जन्म तिथि (प्रमाण–पत्र अभिप्रमाणित प्रति के साथ) :–..................................................
8. दिनांक 1 जुलाई 2017 को आयु :–..................................................
9. मोबाईल नम्बर :–..................................................
10. शैक्षणिक योग्यता :–

कृपया प्रवेशिका से लेकर सभी उच्चतर परीक्षाओं का विवरण दें :–

| क्र0 | परीक्षा का नाम | बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम | विद्यालय/महाविद्यालय का नाम | उत्तीर्ण होने का वर्ष (वार्षिक/पूरक) | श्रेणी | प्राप्तांक | कुल अंक | परीक्षा के विषय | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |

नोटः– आवेदक सभी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्रों की अभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न करें।

10. क्या उम्मीदवार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के सदस्य है ?:–..................................................
..................................................
11. क्या उम्मीदवार भुतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित है ?:–..................................................
12. क्या उम्मीदवार विकलांग है ? :–..................................................
13. पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय और परिवार के वयस्क एवं नाबालिक दोनों की अलग–अलग संख्याः–..................................................
14. आवेदक पत्र के साथ आवेदन पंजीयन शुल्क (100/– रूपये मात्र) के रूप में संलग्न पोस्टल आर्डर की संख्या निर्गत होने की तिथि तथा राशि :–..................................................
15. अनुलग्नक की विवरणी :–1)..................................................2)..................................................3)..................................................

4)..................................................5)..................................................6)..................................................7)..................................................

मैं..................................................पिता का नाम..................................................प्रमाणित करती हूँ /करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरे द्वारा भरी गई है एवं सही है।

आवेदन देने की तिथि

आवेदक का हस्ताक्षर

नोटः– (1) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग भुतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित एवं वीरगति प्राप्त सैनिक के आश्रितों को अंचल पदाधिकारी/जिला उपायुक्त/ जिला सोल्जर्स बोर्ड (जो संबंधित प्रमाण पत्र देने के लिए सक्षम हो) से उक्त वर्ग के होने का प्रमाण–पत्र अभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न करना आवश्यक है।

(2) दिव्यांग को अपना आवेदन पत्र देते समय एक फुल साईज का फोटो देना होगा तथा जिला अस्पताल के आर्थो–पेडिक्स के विभागाध्यक्ष/जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक (civil surgeon) द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। दूसरे किसी चिकित्सकों के प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं दी जायेगी।